न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-158(GCMS2024-294)

1. अन्तरकंवर पत्नी मालमसिंह
2. अमरसिंह पुत्र लखसिंह
3. इन्द्रकंवर पत्नी देवीसिंह
4. उगमसिंह पुत्र मालमसिंह
5. उम्मेदसिंह पुत्र देवीसिंह
6. गुलाबसिंह पुत्र नाथुसिंह
7. गिरधारीसिंह पुत्र लखसिंह
8. गोपालसिंह पुत्र मालमसिंह
9. चन्द्रकंवर पत्नी माधोसिंह
10. दलपतसिंह पुत्र नाथूसिंह
11. दीपसिंह पुत्र लखसिंह
12. फतेहसिंह पुत्र लखसिंह
13. भवानीसिंह पुत्र मालमसिंह
14. महेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह
15. महेन्द्रसिंह पुत्र माधोसिंह
16. मोहनसिंह पुत्र माधोसिंह
17. राजेन्द्रसिंह पुत्र मालमसिंह
18. लालसिंह पुत्र माधोसिंह
19. विकमसिंह पुत्र माधोसिंह
20. सुगनकंवर पत्नी नाथुसिंह
21. सुजानसिंह पुत्र तेजसिंह
22. समन्दरसिंह पुत्र नाथूसिंह
23. सांगसिंह पुत्र तखतसिंह
24. हडमतसिंह पुत्र देवीसिंह

निवासीगण सगतनगर बेलवा राणाजी
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. विजयसिंह पुत्र दुर्गसिंह
2. भीवसिंह पुत्र दुर्गसिंह
3. प्रेमसिंह पुत्र दुर्गसिंह
4. माणकराम पुत्र लाखाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासीगण बेलवा खत्रिया,
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

5. ग्राम पंचायत बेलवा राणाजी
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

6. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बालेसर
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 जून 2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर प्रकरण संख्या 124/2023 (जीसीएमएस पोर्टल संख्या 2023/218) अनवान विजयसिंह व अन्य बनाम अन्तरकंवर इत्यादि

उपस्थित-

श्री नरपतसिंह चम्पावत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 124/2023 (जीसीएमएस पोर्टल संख्या 2023/218) अनवान विजयसिंह व अन्य बनाम अन्तरकंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 जून 2024 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1241/562 रकबा 0. 7123 हैक्टेयर अर्थात 4 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बेलवा राणाजी तहसील बालेसर तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 465 से 30 फीट चौडा रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जून 2024 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलोच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश इकतरफा पारित किया गया है। मौके पर प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1238/561 व 1236/560 से होता हुआ पहले से मौजूद है, नवीन रास्ते की मांग विधिक प्रावधानों की मंशा के खिलाफ की गयी है, पटवारी हळका द्वारा अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 3 की मर्जी अनुसार तैयार की गयी है। जिसके अवलोकन मात्र से ही प्रकट होता है कि रेस्पो. को अधिक दूरी वाला रास्ता दिया गया है जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स की खातेदारी का खेत दो भागों में विभक्त हो जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के मामले में मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही तैयार की जा सकती है, जबकि आलौच्य मामले में पटवारी हळका द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है, जो नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि मौके पर रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। पूर्व में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दिनांक 13 जुलाई 2023 को खसरा संख्या 454, 561 व 562 तथा ग्राम सगतनगर के खसरा संख्या 558, 465 व 468 में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर तहसीलदार बालेसर द्वारा जांच कर रास्ते का आदेश पारित किया गया, मगर खसरा संख्या 465 के खातेदारान अपीलाण्ट्स द्वारा इंकार कर दिया गया और आगे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो निगरानी खारिज की जा चुकी है। वर्तमान मामले में मौका रिपोर्ट बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत उज्र-एतराज विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2024 को खारिज कर दिये गये। जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 889/2024 दिनांक 15 मई 2024 को खारिज हो चुकी है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड मे अमल-दरामद किया जा चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट बाबत जो एतराज अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2024 की आदेशिका अनुसार खारिज किया जा चुका है तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी संख्या 889/2024 दिनांक 15 मई 2024 को खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट बाबत प्रस्तुत आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो.-प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसके अलावा पूर्व में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दिनांक 13 जुलाई 2023 को खसरा संख्या 454, 561 व 562 तथा ग्राम सगतनगर के खसरा संख्या 558, 465 व 468 में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर तहसीलदार बालेसर द्वारा जांच कर रास्ते का आदेश पारित किया जाने और उसके संबंध में आगे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक प्रस्तुत निगरानी खारिज हो जाने संबंधित अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से जाहिर तथ्यों का भी कोई खण्डन अपीलाण्ट्स की ओर से नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर और निर्धारित विधिक प्रकियाओं की पालना सुनिश्चित करते हुए पारित किया जाना पाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जून 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर